विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में *'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'* पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण और *अवसर बढ़े आगे पढ़े* के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति पर दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

2 *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना*

- *भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.–किसान) योजना, सभी पात्र किसान परिवारों को उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनकी घरेलू जरूरतों के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकता को संबल प्रदान करने हेतु प्रत्येक चार माह में ₹ 2,000 की तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करती है।*

(कंडिका 2.1)

- *योजना पोर्टल पर शीघ्र ऑनबोर्डिंग योजना के लाभों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करती है। तथापि, विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने से 71,45,065 लाभार्थी ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।*

(कंडिका 2.6 एवं 2.6.1)

- *पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या केवल 82.50 लाख (50 प्रतिशत) थी (अगस्त 2021)। अपर्याप्त आच्छादन के लिए विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होना, मौजूदा डाटाबेस तक पहुंच नहीं होना, ऑफ़लाइन आवेदनों की गैर–स्वीकृति आदि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।*

(कंडिका 2.6.2)

- *ऑफ लाईन आवेदन का विकल्प नहीं देकर, राज्य सरकार ने उन किसानों को योजना के लाभ से रोका जो ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सके थे।*

(कंडिका 2.6.3)

- *कृषि विभाग आयकर भुगतान की स्थिति और पात्रता निर्धारित करने वाली अन्य सूचनाओ के विषय में लाभार्थियों द्वारा की गई स्व–घोषणाओं पर निर्भर थी। परिणामस्वरूप, 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 आयकर दाता लाभार्थियों को ₹ 39.05 करोड़ (नवंबर 2021) प्राप्त हुए। औसतन, इन अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में विभाग को 16 से 24 माह लग गए। इसी प्रकार, 19,485 अपात्र लाभार्थियों (लाभार्थी के रोजगार, मृत्यु मामलों आदि के आधार पर) को ₹ 23.62 करोड़ (नवंबर 2021) का भुगतान प्राप्त हुआ जिसका पता लगाने में विभाग को औसतन दो वर्ष लगे।*

(कंडिका 2.6.4)

- *10 नमूना जाँचित जिलों में, 22,301 अवयस्क लाभार्थियों (कुल पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों का 91 प्रतिशत) को ₹23.59 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य लाभ*

का भुगतान किया गया क्योंकि पी.एम.–किसान के तहत लाभ के लिए आवेदन निर्दिष्ट तिथि अर्थात 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को पकड़ा नहीं था।

(कंडिका 2.6.5)

- 841 नमूना जाँचित लाभार्थियों में से 610 (73 प्रतिशत) के पास उनके अपने नाम पर भूमि नहीं थी और उन्होंने योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत ₹ 58.46 लाख का योजना लाभ प्राप्त किया। यदि इस तरह के मामलों की जाँच पूरे राज्य में कराये जाते हैं तो यह एक संभावना है कि लाभों की एक बड़ी राशि अपात्र लाभार्थियों को गया होगा। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। राज्य में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया दुष्कर है और राज्य में भूमि अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन अभी भी जारी है। बिहार सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया जिसकी परिणति अनियमित भुगतान में हुई।

(कंडिका 2.6.6)

- विफल एवं लंबित भुगतानों के कारण राज्य के लाभार्थियों को ₹50.48 करोड़ का हस्तांतरण नहीं किया जा सका जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवश्यक सत्यापन और विवरण को अद्यतन करना शेष था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विफल और लंबित भुगतानों के दृष्टांतों के साथ–साथ आवश्यक सत्यापनों के तरफ राज्य सरकार की ओर से निष्क्रियता एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना सकता है जिसमें राशि अभीष्ट प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सके।

(कंडिका 2.7.1)

- बैंक खाते से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा 67,535 लाभार्थियों के आवेदन अस्वीकृत किये गये। इस प्रकार की अस्वीकृतियां इस तथ्य के कारण थीं कि राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल के पास बैंक खाता विवरणों की जाँच की सुविधा नहीं थी और राज्य नोडल अधिकारी ने इस तथ्य को केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं लाया था।

(कंडिका 2.7.2)

- 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹ 22.62 लाख के योजना लाभ अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए, जो लाभार्थियों के बैंक खाते के विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के मौजूदा तंत्र में कमजोरी की पुष्टि करते हैं। राशि की वसूली अभी तक बाकी है (नवंबर 2021)।

(कंडिका 2.7.3.1)

- 10 नमूना–जाँचित जिलों में से छः में, डी.ए.ओ. द्वारा राज्य नोडल कार्यालय को भुगतान रोकने के आग्रह के बावजूद, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.7.3.2)

- डी.ए.ओ. सिवान की लापरवाही के कारण 98 में से 70 व्यक्तियों को ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान प्राप्त हुआ और राशि की वसूली अभी तक बाकी थी (सितंबर 2021)।

(कंडिका 2.7.3.3)

- *67,851 अपात्र लाभार्थियों से वसूली योग्य ₹62.67 करोड़ के विरूद्ध, लगभग ₹5.00 करोड़ (आठ प्रतिशत) वसूल किया गया (फरवरी 2022 तक) जिसे अभी तक भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना शेष था क्योंकि समाशोधन प्रक्रिया पूरी नहीं थी।*

(कंडिका 2.7.6)

- *बिहार सरकार समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना न करने के कारण 2018–21 की अवधि के लिए भारत सरकार से ₹9.48 करोड़ की मांग नहीं कर सकी। समर्पित पी.एम.यू. के अभाव ने प्रभावी निगरानी को प्रभावित किया।*

(कंडिका 2.8.1)

- *राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की केवल एक बैठक सितम्बर 2021 में हुई थी क्योंकि समिति की बैठक की आवृत्ति 9 सितम्बर 2021 तक निर्धारित नहीं थी। नमूना जाँचित जिलों में, जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।*

(कंडिका 2.8.2)

- *प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी स्तर पर निर्धारित समीक्षा बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था।*

(कंडिका 2.8.3)

- *योजना के प्रारम्भ (फरवरी 2019) से अगस्त 2021 तक अर्थात् 31 माहों के दौरान, केवल 9,408 शिकायतों (23 प्रतिशत) का निवारण किया गया जबकि तीन माह अर्थात सितंबर 2021 से नवंबर 2021 के दौरान, शेष 30,674 (77 प्रतिशत) शिकायतों का निवारण किया गया। तथापि, संबंधित अभिलेखों के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि 30,674 लंबित शिकायतों का निवारण, जिन्हें निष्पादित संप्रेषित किया गया था, लाभार्थियों के शिकायत का वास्तव में निवारण किया गया। साथ ही, विभिन्न अधिकारियों ने शिकायत मामलों का सत्यापन नहीं किया।*

(कंडिका 2.8.4)

- *योजना के प्रारम्भ से कम से कम एक किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की तुलना में 1,30,492 लाभार्थियों की कुल कमी थी। विभाग द्वारा लाभार्थियों की कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया जिसमें अपात्र लाभार्थियों से गैर–वसूली एवं कुछ पात्र लाभार्थियों को असावधानीवश हुई कतिपय त्रुटियों जैसे बैंक खाता विवरण आदि में त्रुटियों आदि के कारण अनुवर्ती किस्तें प्राप्त नहीं होने का जोखिम था।*

(कंडिका 2.8.6)

- *आवेदनों के प्रसंस्करण में 124 दिनों (एक तिमाही) से अधिक के विलंब के परिणामस्वरूप संभावित लाभार्थियों को ₹92 लाख का गैर–भुगतान हुआ।*

(कंडिका 2.8.9)

विस्तृत अनुपालन लेखा परीक्षा

3 वित्त विभाग में आंतरिक नियत्रंण

❖ वित्त विभाग ने डी.डी.ओ. जिला स्तर पर पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला लेखा अधिकारी के पद के उचित/प्रभावी काम काज को सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन का पूर्ण अभाव था।

(कंडिका 3.6)

❖ निधियों के समर्पण/चूक, कई बैंक खातों के अविवेकपूर्ण संचालन, निधि का विचलन, लगातार असमायोजित अग्रिम आदि के मामले जिला/प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में निरंतर आ रहे थे।

(कंडिका 3.2)

❖ सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना खातों के रख–रखाव में अनियमितताएं थीं जिनमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना थी।

(कंडिका 3.3)

❖ विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के कार्यपद्धति के अपर्याप्त प्रबंधन ने वित्तीय नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुपालन की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के अपने इच्छित उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। इन सभी ने विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जहाँ लेखापरीक्षा केवल अनुरोध पर थी।

(कंडिका 3.4)

❖ वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यबल की भारी कमी ने अंततः आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जिसने सरकारी निधि के दुर्विनियोजन, गबन, धोखाधड़ी आदि की संभावना का सृजन किया।

(कंडिका 3.5)

4 *अवसर बढ़े आगे पढ़े* के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यप्रणाली

❖ *अवसर बढ़े आगे पढ़े* (ए.बी.ए.पी.) बिहार में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए *सात निश्चय* में से एक था।

(कंडिका 4.1)

❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपने तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों के निर्माण तथा स्थापना के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था।

(कंडिका 4.2.1)

❖ विलंबित भूमि अधिग्रहण, अनुपयुक्त भूमि का अधिग्रहण, भवन निर्माण विभाग द्वारा भवनों का गैर/विलंबित निर्माण, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण सुविधाओं आदि द्वारा योजना का उद्देश्य विफल रहा।

(कंडिका 4.3)

❖ विभाग शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक कमी तथा गैर–शिक्षण कर्मचारियों की लगभग गैर–उपलब्धता के कारण योजना को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर सका जो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।

(कंडिका 4.4)

❖ पुनः, विभाग के प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण, अनुपयुक्त भूमि का चयन किया गया, भवनों/वहनीय केबिनों का निर्माण नहीं किया गया तथा पर्याप्त प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी।

(कंडिका 4.7)

❖ महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को उनकी क्षमता से तीन गुना समायोजित करने तथा महाविद्यालय/संस्थानों तक पहुँचने के लिए छात्रों को 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करने के साथ, प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना के निश्चय का उद्देश्य विफल हो जाता है।

(कंडिका 4.6)

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने गम्भीर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों का अवलोकन किया, जो राज्य सरकार की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा (चार कंडिकाएं) से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिवेदन में शामिल है। महत्वपूर्ण अवलोकन नियमों और विनियमों का गैर–अनुपालन, औचित्य के बिना लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के मामले तथा निगरानी/शासन की विफलता से संबंधित हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- पहुँच मार्ग के लिए भूमि सुनिश्चित किए बिना उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण से ₹11.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 5.1)

- ग्राम जलापूर्ति योजना में बिना किसी योजना उनके उपयोग हेतु पानी के मीटर के प्रावधानों से ₹1.99 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 5.2)

- दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन के रूप में ₹45.43 लाख का भुगतान किया गया था।

(कंडिका 5.3)

- विभाग अपेक्षित मानव बल की कमी के कारण ₹6.26 करोड़ मूल्य के *आधार* नामांकन किट का उपयोग नहीं कर सका और किट अप्रयुक्त रहा।

(कंडिका 5.4)